प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 18 अप्रैल, 2018**

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोतीलाल पुत्र श्री छबीले रैदास, निवासी जनपद-हरदोई की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-103/2016/307/22-2-2016-17(87)/2016 दिनांक 03.07.2016 द्वारा बन्दी मोतीलाल पुत्र श्री छबीले रैदास की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु अनुज्ञा प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश के साथ संलग्न लाइसेन्स की प्रति में उक्त कैदी का अभिभावक उसकी मां श्रीमती राजकुमारी, निवासी ग्राम-गौसापुर मजरा मोहम्मदपुर, थाना-सण्डीला, जिला-हरदोई को नियुक्त किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई के पत्र संख्या-2596/प्रोबे0/फार्म-ए/अभिभावक-नियुक्ति/2017-18 दिनांक 31.01.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि बन्दी के अभिभावक उसकी मां श्रीमती राजकुमारी की मृत्यु हो जाने की दशा में उनके स्थान पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरदोई को नवीन अभिभावक नियुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

2- अत: प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई की उक्त संस्तुति तथा महानिरीक्षक, कारागार के पत्र दिनांक 12.02.2018 द्वारा उपलब्ध कराई गयी आख्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2016 के साथ संलग्न लाइसेन्स फार्म-घ (डी) में कैदी मोतीलाल पुत्र श्री छबीले रैदास का अभिभावक उसकी मां के स्थान पर अभिभावक जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरदोई पढ़े जाने हेतु लाइसेन्स संशोधित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2016 के साथ संलग्न लाइसेन्स इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। लाइसेन्स की अन्य शर्ते/प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-336/2018/274(1)/22-2-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पत्र संख्या-5452/प्रोबेशन-3(एम-06.08.2014) दिनांक 12.02.2018 के संदर्भ में।

2- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-हरदोई के पत्र संख्या-2596/प्रोबे0/बन्दी/फार्म-ए/ अभिभावक-नियुक्ति/2017-18, दिनांक 31.01.2018 के संदर्भ में।

3- पुलिस अधीक्षक, हरदोई।

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।